

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)()सामा./सान्याअवि/2021/ 26550
आदेश

जयपुर, दिनांक : 28.06.2021

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परिक्षाओं में वर्ष 2020-21, 2021-22 में शामिल होने की स्वीकृती निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है।

क सं	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	कक्षा
1	श्री अशोक जांगिड़	संयुक्त निदेशक	निदेशालय, विशेष योग्यजन जयपुर	M.S.W (Master of social work) Course
2	श्रीमती विद्या चौधरी	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि टोंक	MSW Course
3	श्री चंद्र प्रकाश जीनगर	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि चित्तोड़गढ	M.A. Sociology
4	श्री श्रवण कुमार मीणा	अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि सवाईमाधोपुर	PHD Enterance
5	श्री लोकेश कुमार	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय उप निदेशक सान्याअवि कोटा	M.A. Previous
6	श्री बाबूलाल शर्मा	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि बूंदी	M.A. Previous (Sociology)
7	श्री आर्यन सोनी	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि जोधपुर	M.Sc (Geography).final MLIS Course UGC NET 2020
8	श्री माधोसिंह	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि पाली	NET Sociology exam 2020
9	श्री भरत लाल गुर्जर	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि, टोंक	M.A. Previous (Hindi Literature)
10	श्री राजेश कुमार मीणा	वरिष्ठ सहायक	निदेशालय मुख्यावास	स्नातकोत्तर(समाजशास्त्र)
11	श्री संतोष कुमार सिंहल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय, सहायक निदेशक सान्याअवि, दौसा	M.Sc final (Computer Science.)

12	श्री रितेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय, सहायक निदेशक सान्याअवि, दौसा	M.Sc final (Computer Science.)
13	श्री नील कमल मीणा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय, सहायक निदेशक सान्याअवि टोंक	B.Sc final (Ex.student.)
14	श्री तिलक राज शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि अलवर	M.com Previous
15	श्री कृपा सिन्धु बुडगाया	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप निदेशक सान्याअवि अजमेर	M.A final (Sociology)
16	श्री रंगलाल मीणा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि सिरोही	M.com Previous 2021
17	श्री हितेश कुमार योगी	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप निदेशक सान्याअवि, उदयपुर	B.A. 2 Year
18	श्री अनुराग गौतम	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	BLIS-Dec20
19	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि अलवर	स्नातकोत्तर पूवार्द्ध
20	श्री भौरी लाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	RS-CIT 202 L
21	श्री रजनी कांत शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	RS-CIT course
22	श्री लोकेश कुमार मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि उदयपुर	10वीं
23	श्री दीपक यादव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	B.A. 2nd year
24	श्री मांगीलाल सरगरा	चौकीदार	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि पाली	RS-CIT course
25	श्री राजाराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि पाली	RS-CIT course
26	श्री प्रकाश कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि सिरोही	B.A. 2nd year RS-CIT course

शर्तें:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(ओम प्रकाश बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ. 1 (8)()सामा./सान्याअवि/2021 / 26551-84
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक : 28.06.2

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
7. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.....।
8. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।
9. आदेश पत्रावली।

10. ~~संयुक्त निदेशक~~, (स्वतंत्र एनालिसिस) को भेजकर लेख है ही
विभागिय पोर्टल पर अपलोड करवें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव